यह निरीक्षण प्रतिवेदन उप शिक्षा अधिकारी, चौखुटिया, अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी, चौखुटिया, अल्मोड़ा के माह 06/2012 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री रवि शंकर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री विजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 12.02.2019 से 15.02.2019 तक श्री महेंद्र तिवारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** यह इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2012 से 01/2019तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

(अ) उप शिक्षा अधिकारी, चौखुटिया, अल्मोड़ा का मुख्य कार्यकलाप विकास खंड चौखुटिया के प्रारम्भिक शिक्षा/जूनियर हाई स्कूल का संचालन करने से संबंधी समस्त कार्य। इकाई का भौगोलिक क्षेत्र विकास खंड चौखुटिया है।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

वर्ष	आवंटन		व्यय		बचत /अभ्यर्पण	
	स्थापना	गैर स्थापना	स्थापना	गैर स्थापना	स्थापना	गैर स्थापना
2012-13	724.48	00	652.51	00	71.97	00
2013-14	856.39	00	856.39	00	00	00
2014-15	891.76	00	891.76	00	00	00
2015-16	900.64	00	890.10	00	10.54	00
2016-17	925.10	00	919.44	00	5.65	00
2017-18	986.01	00	984.98	00	1.03	00
2018-19 (01/2019)	922.08		900.26	00	21.81	00

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्ति	विविध प्राप्तिया	कुल प्राप्तिया	व्यय	आधिक्य (+)	बचत(-)
2014-15	MDM	0.76	3.82	00	4.59	3.89	00	0.70
2015-16		0.70	5.83	00	6.53	0.043	00	6.49
2016-17		6.49	2.28	00	8.77	7.85	00	0.92
2017-18		0.92	0.26	00	1.19	0.25	00	0.94
2018-19 (01/2019)								

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इकाई की श्रेणी "सी" है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1-सचिव, 2-महानिदेशक, 3-निदेशक (प्राथमिक शिक्षा) 4-मंडलीय अपर निदेशक (प्राथमिक शिक्षा) 5-मुख्य शिक्षा अधिकारी, 6-जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा॰ शिक्षा) 7-खंड शिक्षा अधिकारी 8--उप शिक्षा अधिकारी,(प्रा॰ शिक्षा)

(v)लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में उप शिक्षा अधिकारी, चौखुटिया, अल्मोड़ा की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन उप शिक्षा अधिकारी,(प्रा॰ शिक्षा), चौखुटिया, अल्मोड़ा की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2017, 04/2018, 08/2014 व 04/2015 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया उक्त माहो का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर:1- ₹ 52,33,540/- की धनराशि के बिल/वाउचर लेखा परीक्षा को प्रस्तुत न किया जाना।

सामान्य वित्त नियमो के अनुसार इकाई द्वारा किए गए व्यय के बिल/वाउचर एवं समस्त अभिलेख इकाई के पास सुरक्षित होने चाहिए तथा लेखा परीक्षा के समय बिल/वाउचर को लेखा परीक्षा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

उप शिक्षा अधिकारी, (प्रा॰ शिक्षा), चौखुटिया के व्यय संबंधी अभिलेखो की नमूना लेखा परीक्षा मे पाया गया की विभिन्न मदों मे किए गए व्यय विवरण निम्नलिखित था-

वित्तीय वर्ष	**मद**	**व्यय धनराशि रू॰**
2012-13	20 Grant in aid	22,98,000/-
2013-14	20 Grant in aid	29,35,540/-
	योग	**52,33,540/-**

लेखा परीक्षा मे पाया गया कि उक्त धनराशि की न तो रोकड़ बही मे प्रविष्टि की गयी थी और न ही उक्त धनराशि के बिल/वाउचर लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराये गए थे।

शासन के पत्रांक सं॰- 3 / xxvii(6) / 2013 दिनांक 02 जनवरी 2013 बिंदु संख्या 4.9 में ई-पेमेंट प्रणाली में दिए गये दिशा-निर्देशों के अनुसार 'आहरण एवं संवितरण अधिकारी इन्टरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि सम्बंधित के बैंक खातें में अंतरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बंधित अभिलेखों यथा 11-सी पंजिका, कैशबुक, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेंगे ।

इसके अतिरिक्त वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड -5 भाग 27 के प्रस्तर 1 अ के अनुसार प्रत्येक सरकारी अधिकारी जो सरकार के प्रतिनिधि के रूप मे कोई लेनदेन करता है तो उसे प्रत्येक लेनदेन की प्रविष्टि यथाशीघ्र रोकडबही मे करना चाहिए और उस पर अपना नमूना हस्ताक्षर करना चाहिए।

उपशिक्षा अधिकारी चौखुटिया के चयनित माहों की रोकड़ बही से संबन्धित अभिलेखो की नमूना लेखा परीक्षा जांच मे पाया गया कि इकाई मे रोकड बही का रख रखाव नहीं किया जा रहा था जिससे चयनित माहों कि धनराशि रू॰ 7,57,90,393/- का सत्यापन नहीं किया जा सका था तथा चयनित माह 08/2014 के बिल वाउचर भी प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर मे बताया गया की बिल/वाउचर ढूंढकर लेखा परीक्षा को प्रस्तुत किये जायेंगे। इस प्रकार इकाई का उत्तर स्वत: ही लेखा परीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1- कार्यदायी संस्था के साथ शासनादेश की अवहेलना कर बिना एमओयू के रु. 38.58 लाख के कार्य कराया जाना।

शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार, "कार्यदायी संस्था के साथ प्रत्येक निर्माण कार्य को आवंटित करते समय एमओयू हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

शिक्षा विभाग विकास खण्ड चौखुटिया के अंतर्गत निम्न निर्माण कार्य किए जा रहे है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	मद	वर्ष	लागत (लाख रु. में)
1.	रा. प्रा. वि. जयराम बाखल	सर्व शिक्षा	2018-19	12.86
2.	रा. प्रा. वि विष्ट बाखली	जिला योजना	2016-17	16.25
3.	रा. प्रा. वि. खनुली	जिला योजना	2016-17	12.86

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य ग्रामीण अभियंत्रण विभाग भिकियासैंण द्वारा कराये जा रहे थे, अभिलेखों की जांच में यह भी पाया गया कि उक्त कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था के साथ ग्राहक विभाग द्वारा एमओयू नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा एमओयू न किए जाने के संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा जानकारी के अभाव में एमओयू न किया जाना बताया गया। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बिना एमओयू के निर्माण कार्य कराया जाना शासनादेशों की स्पष्ट अवहेलना थी। जिसके न होने से कार्यदायी संस्था के ऊपर कार्य पूर्ण करने के संबंध में कोई दबाव नहीं रह जाता।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-2- 79,28,838 विद्यालयों में विगत वर्षों की धनराशि का असमायोजित रहना।

उप शिक्षा अधिकारी, (प्रा॰ शिक्षा), चौखुटिया के मध्यान्न भोजन योजना के अंतर्गत आने वाले विकास खंडों में 85 प्राथमिक विद्यालय एवं 16 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 34 राजकीय इंटर कॉलेज सहित कुल 135 विद्यालयों की नमूना जांच हेतु 10 प्रतिशत मध्यान्न भोजन योजना में आच्छादित विद्यालयों की नमूना जांच मे निम्नलिखित तथ्य प्रकाश मे आये:

1) 104 विद्यालयों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि अर्जित ब्याज की धनराशि विद्यालयों के खातों में अद्यतन अनुपयोगी जमा थी जबकि योजना के नियमों के अनुसार अर्जित ब्याज की धनराशि अगले वित्तीय वर्ष में योजना की धनराशि में समायोजित कर दी जानी चाहिए थी।
2) इसी प्रकार नमूना जांच में यह भी पाया गया कि विद्यालयों के पास वर्ष 2017-18 का अवशेष भी बना हुआ था जिसका समायोजन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में नहीं किया गया था।

इस प्रकार इकाई मे अवशेषो का समायोजन नहीं किया जा रहा था तथा इकाई को हर वर्ष नए आवंटन किए जा रहे थे। उक्त धनराशि को अन्य योजनाओ मे उपयोग किया जा सकता था।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर मे बताया उच्च स्तर से निर्देश प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाएगी । इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अवशेष धनराशि का समायोजन हर वर्ष किया जाना चाहिए था जिससे नए आवंटन होने पर इकाई के पास अतयाधिक धनराशि अवशेष न रहती। धनराशियों का अन्यत्र सदुपयोग किया जा सकता था।

अत: प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-III

(i) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
यह इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा है।			

(ii) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
यह इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा है।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु उप शिक्षा अधिकारी, चौखुटिया, अल्मोड़ा तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है, तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः
2. चयनित माह 8/2014 के बिल/वाउचर तथा लेखा परीक्षा अवधि की रोकड़ बही। केंद्र पुरोनिधानित योजना एमडीएम का वर्ष 2012-13 व 201314 का बजट विवरण।

3- सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा आहरण वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गया |

क्रम स°	नाम	पदनाम	अवधि
1-	गणेश चंद पाठक		17.10.2014 से 06.09.2017
2-	श्री भारत जोशी		07.09.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी, चौखुटिया, अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र), कार्यालय प्रधान महालेखाकर (ले°प°) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, निकट IHM, कौलागढ़ रोड, देहारादून-248195 को प्रेषित करना सुनिशित करे|

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.